

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

संजय कुमार सिंह
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 29.3.17

विषय:

राज्य योजना, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयन हेतु उप शीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230011030103)" के अन्तर्गत विषयशीर्ष वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13 02) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त ₹ 6.00 लाख (₹ छः लाख) मात्र अतिरिक्त राशि के व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उप शीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230011030103)" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से विषयशीर्ष वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13 02) में ₹ 6.00 लाख (₹ छः लाख) मात्र अतिरिक्त राशि प्राप्त हुयी है। इसके अतिरिक्त विषयशीर्ष व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) से कुल ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख) मात्र का प्रत्यार्पण किया गया है। इस कारण से इस अतिरिक्त राशि को सम्मिलित कर एवं प्रत्यार्पित राशि को घटाते हुए पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक-20.05.16 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है-

2. (i) उक्त स्वीकृत राशि सामान्य श्रेणी के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230011030103)" राज्य योजना स्कीम कोड-5231के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

प्राथमिक इकाई	व्यय की इकाईयाँ	पूर्व में स्वीकृत राशि (रूपये में)	संशोधित स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	2	3	4
13-01	कार्यालय व्यय	10000	10000
13-02	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	7036000	7636000
20-02	कॉन्फ्रेंस एवं कार्यशाला, सेमिनार	1000000	1000000
21-01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	3764000	3764000
21-02	दवा भंडार	135000	135000
21-03	आहार / पथ्य	135000	135000
28-01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	6920000	5420000
	योग	19000000	18100000

(ii) अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230017890104)" राज्य योजना स्कीम कोड-5231के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

Judha

प्राथमिक इकाई	व्यय की इकाईयाँ	राशि (रूपये में)
1	2	3
21-01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	6395000
21-02	दवा भंडार	70000
21-03	आहार / पथ्य	70000
28-01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	3465000
	योग	10000000

(iii) अनुसूचित जनजाति के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मौंग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230017960102)'' राज्य योजना स्कीम कोड-5231के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

प्राथमिक इकाई	व्यय की इकाईयाँ	राशि (रूपये में)
1	2	3
21-01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	177000
21-02	दवा भंडार	4000
21-03	आहार / पथ्य	4000
28-01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	315000
	योग	500000


अर्थात् (i)+(ii)+(iii) के तहत कुल राशि ₹ 286.00 लाख(₹ दो करोड़ छियासी लाख) मात्र।

उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2100 बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

		पूर्व में स्वीकृत		संशोधन के पश्चात
क	बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करना।	रूपये 5000X2100 बाल श्रमिक	10500000	9000000
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	रूपये 100X2100 बाल श्रमिक	210000 के विरुद्ध 209000	210000 के विरुद्ध 209000
ग	विमुक्ति के समय वस्त्र	रूपये 500X2100 बाल श्रमिक	1050000	1050000
घ	विमुक्ति के समय दवा	रूपये 100X2100 बाल श्रमिक	210000 के विरुद्ध 209000	210000 के विरुद्ध 209000
ड.	विमुक्ति के समय परिवहन	रूपये 500X2100 बाल श्रमिक	0	0
च	30 दिनों का राशन विमुक्ति के पश्चात	रूपये 2300X2100 बाल श्रमिक	4830000 के विरुद्ध 9286000	4830000 के विरुद्ध 9286000
छ	बाल श्रम उन्मूलन हेतु सेमिनार, सिमपोजियम, जागरूकता आदि	-	1000000	1000000
ज	बाल श्रमिक कोषांग का कार्यालय व्यय	-	10000	10000
झ	उड़नदस्ता दल के लिए संविदा के आधार पर वाहन की व्यवस्था हेतु (28 कार्यालय X @ 1200/- प्रतिदिन X 26 दिन X 12 माह)	-	10483200 के विरुद्ध 7036000	10483200 के विरुद्ध 7636000
ञ	डाटा इंटी ऑपरेटर के पारिश्रमिक के भुगतान पर व्यय	-	200000	200000
		कुल योग	29500000	28600000

2. यह चालू योजना है ।
4. योजनान्तर्गत व्यय की जानेवाली राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रमायुक्त के सचिव/ सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक एवं सभी जिला पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।
5. इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी ।
6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।


ज्ञापांक-06/एफ1-305/2016 श्र0सं0-

1249

पटना, दिनांक

29. 3. 17

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/ सभी उप श्रमायुक्त/ सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी जिला कोषागार/ उपकोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 (सरकार पक्ष)/ प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को 01 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।